डॉ. महांतेश शिरूर
उपनिदेशक (कृषि विस्तार)
प्रधान समन्वथक (देसी)
कृषि विस्तार नीति, सरकारी निजी भागीदारिता
एवं कृषि विस्तार में उत्कृष्टता का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र

Dr. Mahantesh Shirur
Deputy Director (Agril. Extn.)
Principal Coordinator (DAESI)
Centre for Agricultural Extension Policy, Public Private Partnership and International Centre of Excellence in Agricultural Extension

स्पीड पोस्ट/ईमेल द्वारा
एमएनजी-18/डीएईएसआई/34/2020
दिनांक: 11-05-2022

सर / मैडम,

विषय: DAESI डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने और उसमें संशोधन के संबंध में दिशानिर्देश

1. मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार डुप्लीकेट DAESI डिप्लोमा प्रमाणपत्र जारी करने की फीस 1000/- रुपये है। कई उम्मीदवार विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए महानिदेशक, मैनेज को डुप्लीकेट DAESI प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। डुप्लीकेट DAESI प्रमाण पत्र जारी करने की फीस 01.05.2022 से 1000/- रुपये से 2000/- रुपये संशोधित की गई है।
2. कई नोडल प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआई) DAESI प्रमाणपत्रों के वितरण के बाद प्रमाणपत्रों में नाम परिवर्तन और फोटो परिवर्तन के लिए अनुरोध करते हुए DAESI प्रमाणपत्र लौटा रहे हैं।
3. 15-16 जून, 2021 के दौरान आयोजित देसी राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद एमआईएस पोर्टल को महानिदेशक, मैनेज के अनुमोदन से बदल दिया गया है और फैसिलिटेटर्स द्वारा अपलोड की गई तस्वीरों और नामों को देखने का विकल्प नोडल प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआई) को दिया गया है। इसके अलावा, मैनेज के कंसल्टेंट (DAESI) फैसिलिटेटर को प्रमाण पत्र के अंतिम मुद्रण से पहले संशोधनों को सत्यापित करने और स्वीकार करने के लिए उम्मीदवारों की सूची के डमी प्रमाण पत्र / प्रोफार्मा के साथ एक ईमेल भेजेंगे।
4. एमआईएस पोर्टल में डेटा प्रविष्टि के संबंध में सभी DAESI फैसिलिटेटर्स को एक ऑनलाइन अभिविन्यास भी प्रदान किया गया था। फैसिलिटेटर्स से कहा जाता है कि वे एक DAESI कक्षा में एमआईएस पोर्टल में दर्ज किए गए उम्मीदवारों के नाम सत्यापन के उद्देश्य से उम्मीदवारों को प्रदर्शित करें।
5. परीक्षा के समय मैनेज प्रतिनिधि या कंसल्टेंट्स (DAESI) उम्मीदवारों के नामों का सत्यापन उम्मीदवार के 10वीं के प्रमाणपत्र के अनुसार कर रहे हैं और एमआईएस पोर्टल में अद्यतन कर रहे हैं।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030. तेलंगाना. भारत.)
NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL EXTENSION MANAGEMENT
(An organization of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India)
Rajendranagar, Hyderabad - 500 030. Telangana State. INDIA
Ph : +91-40-24594650 / 538 Fax : +91-40-24015399, Mobile : +91-9916220767
E-mail : caep-manage@manage.gov.in | maha.shirur@manage.gov.in | Web : www.manage.gov.in

6. एनटीआई समन्वयकों और फैसिलिटेटरों द्वारा नामों और तस्वीरों के सत्यापन के कई चरणों के बाद भी, वे संशोधन के लिए प्रमाण पत्र वापस कर रहे हैं जिससे नियमित कार्यों में बाधा आ रही है।
7. उम्मीदवारों के नाम और उम्मीदवारों की तस्वीरों का मिलान केवल नोडल प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआई) या फैसिलिटेटर द्वारा किया जा सकता है और यह SAMETI या मैनेज के कंसल्टेंट (DAESI) के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वे उम्मीदवारों से परिचित नहीं हैं।
8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर (DAESI) और महानिदेशक, मैनेज के हस्ताक्षर के बाद DAESI प्रमाणपत्रों में संशोधन के लिए 500/- रुपये की राशि चार्ज करने का निर्णय लिया गया है। 500/- रुपये के शुल्क का भुगतान एनटीआई से अंतिम प्रमाणपत्रों में संशोधन के लिए किया जाएगा और मूल प्रमाण पत्र (गलतियों के साथ) डिमांड ड्राफ्ट/लेनदेन रसीद (ऑनलाइन भुगतान के लिए) के साथ मैनेज को वापस करना होगा।

यह महानिदेशक, मैनेज के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीया

(महंतेश शिरूर)

सेवा,
निदेशक सभी राज्यों के SAMETIs

प्रतिलिपि:
लेखा अधिकारी, मैनेज
सभी एनटीआई और फैसिलिटेटर